न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 30/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः— सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री एस. पी. गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.03.2019 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः— सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी विक्रेता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में चार प्लास्टिक के कट्टो में दाल मूंग मोगर (SSE) जिनका प्रत्येक का वजन 30 किग्रा था, आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर एक मूल पैक प्लास्टिक कट्टे को खोलकर नमूने की जांच हेतु 4 किग्रा दाल मूंग मोगर (SSE) खरीदी। जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 किग्रा दाल मूंग मोगर (SSE) को चार प्लास्टिक डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.— 2139 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ दाल मूंग मोगर (SSE) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./717/एक्ट/2019/382 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणें की जांच रिपोर्ट सं0 आरएफएल/डीओ/321/19/602/2019 दिनांक 5.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ दाल मूंग मोगर (SSE) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./ 717/एक्ट/2019 /382 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणें की जांच रिपोर्ट सं0 आरएफएल/डीओ/321/19/602/2019 दिनांक 5.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ व सबस्टैण्डर्ड पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी की बिवाई गांव में परचुनी की दुकान है तथा फुटकर में खाद्य सामग्री जिसमे दाल व पिसे हुये मसाले भी बेचता है। प्रार्थी द्वारा थोक में बांदीकुई से मूंग की दाल का क्रय किया जाता है, लेकिन बांदीकुई के दुकानदार इसका बिल नहीं देते है। दिनांक 9.3.2019 को प्रार्थी की दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बंद कट्टे को खोलकर उसमें से मूंग की दाल का नमूना लिया था जो जांच में मूंग की दाल के दिये गये मानको के हिसाब से बिल्कुल सही था, कोई मिलावट नहीं थी। सी.एफ.ए. की जांच में दाल को अनसेफ माना गया था तथा प्रार्थी की प्रार्थना पर रैफरल फूड लेबोरेट्री पूणे द्वारा जांच कराने पर उसे सबस्टैण्डर्ड पाया गया। दोनो जांच रिपोर्टो में अंतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की लापरवाही को दशार्ता है। एफ.एस.एस.ए. में दिये गये मानदण्डों के अनुसार मूंग की दाल में कोई कमी नहीं पाई गई है। केवल इसमें Tartrazine पाया गया है। जो लगभग मूंग की हर दाल में होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त दाल बांदीकुई के विक्रेता द्वारा खरीदी गई। प्रार्थी गावं में परचुनी की दुकान करने वाला साधारण दुकानदार है। प्रार्थी का यह कृत्य लघु प्रकृति का अपराध है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध परिवाद को समाप्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./ 717/एक्ट/2019 /382 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणें की जांच रिपोर्ट सं0 आरएफएल/डीओ/321/19/602/2019 दिनांक 5.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अनसेफ व सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दाल मूंग मोगर (SSE) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा पर 2,000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.11.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 2421-23

दिनांकः– 07.11.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति० जिला कलेक्टर
दौसा